संख्या-10/2019-**449**/81-4-2019-14(बजट)/2018

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग- 4 लखनऊ, दिनांक, 31 जुलाई, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष-2019-20 में ''जनपद मऊ देवी में वन देवी जैव विविधता क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास व वन देवी का जीर्णोद्धार तथा वन देवी में गेस्ट हाउस का निर्माण '' योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र सं0-पी-1161/36-बी-8(वनदेवी पार्क)/2019-20 दिनांक 04 जून, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत योजनान्तर्गत् गेस्ट हाउस का निर्माण हेतु रू0 459.63 + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-60 के अन्तर्गत प्रश्नगत योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित लेखा शीर्षकों में व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 लाख में)
अनुदान संख्या-60-	
पूंजी लेखा	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय-	
01-वानिकी-	
800-अन्य व्यय -	
18-जनपद मऊ देवी में वन देवी जैव विविधता क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास व वन देवी का जीर्णोद्धार तथा वन देवी में गेस्ट हाउस का निर्माण (सी0सी0एल0 प्रणाली-	
24-वृहद निर्माण कार्य-	100.00
योग:-	**100.00**

(रू0 एक करोड़ मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- व्यय को निर्धारित मानको के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य कार्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

5- प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था का होगा।

6- प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने साथ-साथ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर- 318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

7- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 की होगी तथा वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

8- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट होवर रन न हो। अत इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10- स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा

11- प्रश्नगत स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 04.06.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी है तो इसका उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

12- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

13- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 के प्रस्तर-2 (8)(च) में दी गयी व्यवस्था "निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि की वित्तीय स्वीकृति में इस आशय का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।" का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14- एकमुश्त बजट व्यवस्था से स्वीकृति के दृष्टिगत प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 द्वारा बजट मैनुअल के पैरा-94 के अधीन सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

15- स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तब होगा जब निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो तथा इसका गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर को उपलब्ध करा दिया गया हो।

16- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे।

17- समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानिक स्वीकृतियॉ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य संबंधित विभागों से यथा-आवश्यक अनुमति/सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृत धनराशि व्यय किया जाय।

18- योजनान्तर्गत कार्यो हेतु शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत ई-टेन्डरिंग विषयक शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय तथा क्रय सम्बन्धी समस्त कार्य जैम**(GEM)**पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

19- प्रयोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

20- प्रयोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित कतिपय कार्यमदें यथा-जनरेटर एवं गेस्ट हाउस हेतु फर्नीशिं ग यथा-स्पिलट ए0सी0, टी0वी0, फ्रीज, बेड, चेयर, स्टडी मेज की दरें एकमुश्त/बाजार के आधार पर प्रस्तावित किये गये है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर कोटेशन प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिडयूल ऑफ रेटस उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 से अपेक्षित है कि इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

21- अनुमोदित आगणन में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्यो को सम्मिलित करना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यदि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।

22- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति रिपोर्ट शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।

23- इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

24- प्रश्नगत योजनान्तर्गत/कार्य के अन्तर्गत हुई प्रगति/व्यय की सूचना/विवरण एवं नवीतम चित्र विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करते हुएइसे विभागीय बेवसाइट पर एक अतिरिक्त बिन्दु के रूप में इंगित किया जाय तथा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

25- उपर्युक्त धनराशि का व्यय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 04 जून, 2019 में उल्लिखित कार्यमदों में ही किया जाय।

26- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष समस्त औपचारिकताऐं एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन एवं बचत की धनराशि सुनिश्चित करेंगें।

27- वित्त)आय-अनुभाग (व्ययक-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/201 9 दिनांकमार्च 22 , 201 9में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं। अत: इसका जाये। किया सुनिश्चित अनुपालन

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-7-553/दस-19 दिनांक 15 जुलाई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमित से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-10/2019-449(1)/81-4-2019-14 (बजट)/2018 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),प्रथम/,ि दवतीय,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज,लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक,उ0प्र0,लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
9- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(डा0 दीपक कोहली)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।